

विषय:-याचिका क्रमांक WENO 22322/2015 मोहम्सद असमगर

विरुद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य।

संदर्भः- डिसी रिफाल्यर माननीय उच्य न्यायालय बावालपुर का पत्र दिनां ड

की बोह्यमद क्रास्त्रार ने म०५० शासन एवं अन्य के विरूद्ध एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय धावालपुर में दायर की है। जिसमें प्रथम पेशी दिनांक 28-3-2016 को नियत है। प्रकरण में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाना है।

अतः शासन का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उत्तर पन्ना (अर्थ) विष्ठी

......को प्रभारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

संलग्न:-अभिलेख। गुलतः प्रकृत पृष्ठ क्रमांक 1 से 38 तक।

मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) म0प्र0 भोपाल

1264

पदेन सचिव, बन (आई.डी.सी.)

उपरोक्त प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये गये है। जो नीचे नस्ती पर व्यवस्थित है। पक्ष समर्थन का आदेश जारी किया जाना है। कृपया पक्ष समर्थन आदेश जारी करने का कष्ट करें।

म०प्र० शासन, भोपाल

विधि विभाग

अतिरक्छ। अन्वेश नारी कर अति मस्ती पर



IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

Process Id: 27564/2016

WP/22322/2015

From

Kishore Pithawe Deputy Registrar, High Court of Judicature at Jabalpur [FOR ADMISSION and I.R.] <u>Fixed for 28-03-2016</u> <u>WP-DA-16</u> Respondent No. 2

To,

Principal Chief Conservator Of Forest Forest (Radiustin)
Department,
Satpura Bhawan,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 15-02-2016

Sub: Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 22322/ 2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Mohd.** Asgar has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/22322/2015

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 28-03-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

COURT OF COURT OF Encl: Copy of Petition

Your faithfully

Dn.

DEPUTY REGISTRAR

of 4

Monday 15 February 2016 05:34 PM

an 813116

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कमांक/आई.डी.सी./कोर्ट केस/ 087
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्याक—5) आदेश सत्ताईस के नियम—1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शिक्त्यों को प्रयोग में लाते हुए क्रान्स कर कर के प्रकरण क्रमांक 1000 हारा श्री कार्य के स्वासन की ओर से म.प्र.राज्य के लिये तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रुप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने तथा उन्हें संचालित करने लिए एवं कार्य करने और उप संजात होने के लिये नियुक्त किया जाता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश किया जाता है कि म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तर दायित्यों के अतिरिक्त वे अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी स्थिति में जिसके ब्योरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:—

- प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा, जैसा की आवश्यकता है और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिससे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता को सहायता पहुँचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण में विधि विभाग से परामर्श किया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में निर्दिष्ट की जाएगी।
- (2) समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज नियम, अधिसूचनायें तथा आदेश एकत्रित करेगा ।
- (3) वादपत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा ।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा ।
- (5) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा ।
- (6) प्रमारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :--
 - (क) वादपत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 - (घ) मामले के विश्दीकरण के लिए आवश्यक कागंज पत्रों की प्रतियाँ इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये ।
- (7) मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले में उनके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना ।
- (8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टता या म.प्र. राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है, जब विधि विभाग को सूचित करना हो, उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना ।
- अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए विमाग को भेजेगें ।
- (10) यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो ।
- (11) जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्ध—शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्ति नहीं कर दिया जाय।
- (12) प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई नहीं रह जाये ।

- (13) प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही बात का विनिश्चिय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा । निर्णय की एक प्रति तत्काल प्राप्त की जाए और रिपोर्ट ाथ भेजी जाये।
- (14) प्रभारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जेहां किसी बात के प्रक्रम पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव एतद् उस आदेश की प्रति जैसे ही पारित किया जाये, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।
- (15) न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम रूप से आदेश पारित किये जाने पर प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह तत्काल आदेश का अध्ययन कर उन बिन्दुओं को अलग से छांटे जिन पर कार्यवाही की जाकर पालन प्रतिवेदन किस विनिर्दिष्ट दिनांक तक न्यायालय को किया जाना है। तत्पश्चात् प्रभारी अधिकारी लिखित में शासन को अथवा सक्षम अधिकारी का जहां से आवश्यक कार्यवाही की जाना है ध्यान आकर्षित कराएगा एवं निश्चित समयाविध में न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायेगा।
- (16) जिन प्रकरणों में मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया जाता है उन सभी प्रकरणों में मुख्य सचिव का उल्लेख विलोपित कराते हुए प्रकरण में रिटर्न प्रस्तुतीकरण किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

अप्रीत अर्थनीवप्रसव) समिव

वनोपज अन्तर्विमागीय समिति एवं पदेन सचिव मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग भोपाल, दिनांक : 10/3/2016

पृ. क्रमांक/आई.डी.सी./कोर्ट केस/ ० 87 प्रतिलिपि :–

- महाधिवक्ता म.प्र. उच्च न्यायालय अवि०५४
- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन,विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल
- 3. जिलाध्यक्ष पूजी जिला पन्नी म.प्र.।
- 4. विकास की अर्थ अधिवक्ता से संपर्क कर और "उपस्थिति प्रमाण पत्र" प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और अपनी प्रगति के साथ उसे विमागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति /रिपोर्ट इस विभाग के साथ विधि विभाग को अनिवार्य रूप से भेजी जाए।
- 5. की ओर लेख है कि प्रकरण से संबंधित याचिका एवं समस्त दस्तावेज संबंधित प्रभारी अधिकारी को तत्काल साँपकर इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें ।
- मुख्य वन संरक्षक <u>६० त.र. पूर</u> मृत्र ।
- उप वन संरक्षक न्यायालीन प्रकरण जबलपुर मध्यप्रदेश।
- 9. रजिस्ट्रार म०प्र० उच्च न्यायालय अविविध्य म०प्र०।
- 10. शासकीय अधिवक्ता म०प्र० उच्च न्यायालय <u>ज्ञान्य प्राप्त</u> म०प्र०।
- 11. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सर्तकता शिकायत/नोडल अधिकारी न्यायालीन प्रकरण) मध्यप्रदेश भोपाल।

वनोपज अन्तर्विभागीय समिति एवं पदेन सचिव मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग